समाचार

छान्ही के पानी घर मा अभियान

रैनवाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण के लिए सबसे बड़ी जरूरत–आयुक्त

(पंचवटी में आयुक्त श्री एस.के.दुबे एवं अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने ली होटल, मॉल, हास्पिटल, क्लीनिक संचालकों, व्यवसायिक काम्पलेक्सों व भवन मालिकों की बैठक, भवनों में अनिवार्य रूप से रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को कहा)

कोरबा 16 जून 2019–आयुक्त श्री एस.के.दुबे ने कहा है कि रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भवनों में बनाना जलसंरक्षण के दृष्टिकोण से आज सबसे बड़ी जरूरत है तथा जल का संरक्षण किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होने कहा कि हम सब मिलकर जल संरक्षण के इस महाअभियान में अपनी–अपनी महती भूमिका निभाएं, अपने घरों में रैनवाटर सिस्टम स्थापित करें तथा औरो को भी इस हेतु प्रेरित करें।

उक्त बातें आयुक्त श्री दुबे ने पंचवटी में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर आयोजित बैठक के दौरान कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा कोरबा जिला प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरबा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल एवं कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के मार्गदर्शन में जलसंरक्षण, रैनवाटर हार्वेस्टिंग अभियान का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इस अभियान का नाम '' छान्ही के पानी घर मा '' का नाम दिया गया है, नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के सभी जोन में जल संरक्षण के तहत रैनवाटर हार्वेस्टिंग का अभियान चलाया जा रहा है एवं लोगों को जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पंचवटी विश्रामगृह में होटल, मॉल, अस्पताल, क्लीनिक संचालकों, व्यवसायिक काम्पलेक्स, भवन स्वामियों तथा व्यवसायियों की बैठक आयोजित की गई तथा उन्हें रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जानकारी देते हुए भवनों में अनिवार्य रूप से सिस्टम लगाने को कहा गया।

भावी पीढ़ी की चिंता करें, जल संरक्षण अभियान में सहयोग दें– बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने कहा कि हम सभी भावी पीढ़ी की चिंता करें तथा जल संरक्षण हेतु रैनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से अपने घरों में लगाएं।उन्होने कहा कि जिला प्रशासन के महाअभियान '' छान्ही के पानी घर मा '' के सफल कियान्वयन के लिए नगर पालिक निगम कोरबा पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, निगम द्वारा अपने समस्त भवनों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है।

रैनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, निगम करेगा सहयोग– अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने बैठक में उपस्थित व्यवसायियों से आगे कहा कि निगम द्वारा दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति में रैनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है, उन्होने कहा कि सभी नए भवन निर्माता एवं पुराने भवनों के स्वामी अपने–अपने भवन में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगावे, उनके इस कार्य में जहां जरूरत होगी, वहां पर निगम अपना तकनीकी व अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

17 एवं 18 जून को निगम के विभिन्न जोन में होगी कार्यशालाएं–अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने बताया कि जल संरक्षण व रैनवाटर हार्वेस्टिंग के प्रति आमजन में जागरूकता लाने एवं रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापना की जानकारी लोगों को देने के लिए निगम के विभिन्न जोन कार्यालयों में निर्धारित कार्यक्रमानुसार 17 व 18 जून को कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होने बताया कि 17 जून को प्रातः 11 बजे से कोसाबाड़ी व रविशंकर शुक्ल जोन की कार्यशाला, वीर सावरकर भवन में आयोजित की जाएगी, वहीं दर्री जोन की कार्यशाला भी 17 जून को ही दर्री जोन कार्यालय में आयोजित होगी। इसी प्रकार कोरबा व टी.पी.नगर जोन की कार्यशाला 18 जून को कोरबा जोन कार्यालय भवन में प्रातः 11 बजे आयोजित होगी, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन की कार्यशाला 18 जून को ही प्रातः 11 बजे सर्वमंगला जोन कार्यालय में सम्पन्न की जाएगी, वहीं बालको जोन की कार्यशाला 18 जून को ही बालको जोन कार्यालय में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगी।

बैठक के दौरान मुख्य लेखाधिकारी पी.आर.मिश्रा, अधीक्षण अभियंता ग्यास अहमद, कार्यपालन अभियंता एम.के. वर्मा, ए.के. शर्मा, एम.एन.सरकार, एन.के.नाथ, डी.सी.सोनकर, तपनयोगी तिवारी, एच.आर.बघेल, हेमंत सुरजेवाला, अभिनव राठौर, राजेन्द्र अग्रवाल, राकेश, राजेश जायसवाल, गुलशन अरोरा, लक्ष्मी ठाकुर, अमर बाधवानी, अनिल कुमार यादव, मनीष अग्रवाल, दीपक गुप्ता, अनुप सरकार, सुरेश बाधवानी, एम.एस.ठाकुर, सुनील तांडे, सोमनाथ डहरे आदि के साथ निगम के अन्य अभियंतागण तथा होटल, मॉल संचालकों के साथ–साथ अन्य व्यवसायीगण उपस्थित थे।